प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उन्नीस'

[25/7/2017]

प्रश्न सं. [क. 2461]

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 25/07/2017

परिशिष्ट-

विषय :-विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी । - अतारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2461 द्वारा माननीय विधायक श्री जितेन्द्र गेहलोत ।

उज्जैन राजस्व संभाग के अंतर्गत विद्युतीकरण से संबंधित निम्नलिखित योजनाएं क्रियाशील है:-

1. फीडर विभक्तिकरण योजना
2. मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना.
3. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना.
4. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना.
5. एकीकृत विद्युत विकास योजना. (आय.पी.डी.एस.)
6. एस.एस.टी.डी.योजना.
7. एडीबी.योजना.
8. स्वयं का ट्रांसफार्मर (ओ.व्हाय.टी.) योजना.

प्रत्येक योजना में प्रावधानित कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :-

1. फीडर विभक्तिकरण योजना- फीडर विभक्तिकरण योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू भार को कृषि विद्युत भार से अलग कर घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घण्टे एवं कृषि पंप उपभोक्ताओं को 10 घण्टे निरंतर विद्युत प्रदान करना है ।

2. मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना :-

"मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना" सितम्बर 2016 से प्रारंभ की गई है । इस योजना के अंतर्गत आने वाले नवीन कृषि पंप कनेक्शनों तथा अस्थायी कृषि पंप कनेक्शनों को स्थायी कनेक्शनों में बदलने के लिए आवश्यक अधोसंरचना विस्तार तथा वर्तमान अधोसंरचना में क्षमता वृद्धि एवं रिनोवेशन का कार्य किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पूर्व में चल रही "कृषक अनुदान योजना" में स्वीकृत एवं किसान द्वारा राशि जमा किये गये स्थायी पंप कनेक्शन के प्रकरणों को इस योजना मे शामिल किया गया है। ऐसे किसान द्वारा जमा किये गये अंशदान मे कोई परिवर्तन नही होगा। इस योजना के तहत किसान द्वारा वर्तमान में निम्नानुसार अंशदान की राशि कनेक्शन लेने हेतु देय होगी, जिसमें अधोसंरचना के कार्य शामिल है:-

(रूपये प्रति हार्सपावर)

वर्ष	लघु एवं सीमान्त कृषक (2 हैक्टेयर से कम के भूमि धारक)		2 हैक्टेयर तथा अधिक भूमि धारक कृषक
	अनुसूचित जाति / जनजाति के कृषक	अन्य कृषक	
2016-17	5000	7000	11000
2017-18	5500	7500	12000
2018-19	6000	8000	13000

3. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना –रा.गा.ग्रा.वि.यो. भारत सरकार का ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यकम है । ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से यह परियोजना संचालित की जा रही है । राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामों और मजरों टोलों को विद्युतीकृत करना, विद्युतीकृत ग्रामों का सघन विद्युतीकरण करना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी श्रेणी के हितग्राहियों को निःशुल्क कनेक्शन प्रदान करना है। उक्त योजना में 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले मजरों/टोलों का कार्य किया जा रहा है। यह योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना मे समाहित हो गई है।

4. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना– भारत शासन की उक्त योजना संपूर्ण देश में विद्यमान ग्रामों में विद्युत अधोसंरचना विकास हेतु बनाई गई है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित अधोसंरचना निर्माण के कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं।

(अ) फीडर विभक्तिकरण – इसके अंतर्गत ग्रामों के गैर कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु नवीन घरेलू श्रेणी फीडर का निर्माण कर, कृषि कार्य हेतु पृथक फीडर द्वारा गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किया जाना है ।

(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान अधोसंरचना– उपपारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण एवं उन्नयन तथा शतप्रतिशत मीटरीकरण :–

इसके अंतर्गत विद्यमान लाईनों एवं उपकरणों की क्षमताओं का तकनीकी रूप से आंकलन कर साध्य नवीन अधोसंरचना जैसे नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र, विद्यमान पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, नवीन लाईनों का निर्माण, अतिभारित वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि, विद्युत वितरण हानि कमी करने हेतु संभावित विद्युत के अवैधानिक उपयोग वाले क्षेत्रों में केबलीकरण एवं शतप्रतिशत उपभोक्ताओं का मीटरीकरण किया जाना जिससे कि विद्युत उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण 24 घंटे विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किया जा सके एवं वितरण हानि में कमी की जा सके।

(स) ग्रामीण विद्युतीकरण :–

इसके अंतर्गत अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों/टोलों बसाहटों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत अधोसंरचना का निर्माण कर बी.पी.एल. परिवारो को निःशुल्क मीटरीकृत विद्युत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है ।

(द) राष्ट्रीय आप्टीकल फाईबर नेटवर्क का विस्तार :–

योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में उपलब्ध राष्ट्रीय आप्टीकल फाईबर नेटवर्क का विस्तार विद्यमान 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों तक किया जाना है ।

5. एकीकृत विद्युत विकास योजना. (आय.पी.डी.एस.) :– भारत शासन की यह योजना 5000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों में उपपारेषण एवं वितरण अधोसंचना को सुदृढ़ीकृत करने हेतु बनाई गई है । योजना के अंतर्गत नवीन उपकेन्द्रो का निर्माण, स्थापित उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि, नवीन उच्चदाब लाईनो का निर्माण एवं पूर्व स्थापित लाईनों की क्षमता वृद्धि, नवीन वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा पूर्व स्थापित वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, उपकेन्द्रों एवं विद्युत लाईनों का नवीनीकरण, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, पर्यटन एवं धार्मिक महत्व वाले स्थलों पर अंडरग्राउण्ड केबलीकरण का कार्य, विद्युत चोरी बहुल क्षेत्रों में केबलीकरण का कार्य तथा हाई वोल्टेज वितरण तन्त्र स्थापित करने के साथ उपकेन्द्रों, फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मरों एवं उपभोक्ताओं के यहां मीटरीकरण करना शामिल है ।

6. एस.एस.टी.डी.योजना :– मध्यप्रदेश शासन की इस योजना में प्रणाली सुदृढिकरण के तहत नवीन उपकेन्द्रो का निर्माण, स्थापित उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि, नवीन उच्चदाब लाईनो का निर्माण एवं पूर्व स्थापित लाईनों की क्षमता वृद्धि, नवीन वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा पूर्व स्थापित वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, उपकेन्द्रों एवं विद्युत लाईनों का नवीनीकरण, फीडरों एवं वितरण ट्रांसफार्मरों के कार्य शामिल है ।

7 ए.डी.बी. योजना– ए.डी.बी. योजना एशियन डेवलवमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत प्रदाय हेतु विद्युत अधोसंरचना का निर्माण एवं प्रणाली सुदृढीकरण एवं रखरखाव के कार्य किये जाते हैं।

8. स्वयं का ट्रांसफार्मर (ओ.व्हाय.टी.) योजना :– इस योजना के अंतर्गत कृषक को स्वयं के व्यय पर ट्रांसफार्मर स्थापित करने का प्रावधान है। इसके लिए आवश्यक 11 केव्ही लाईन, मीटर, मोडम सहित ट्रांसफार्मर व सर्विस लाईन केबल तथा डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स सहित सम्पूर्ण व्यय उपभोक्ता को वहन करना होता है। इस हेतु उपभोक्ता चाहे तो स्वयं के निर्धारित "अ" श्रेणी के विद्युत ठेकेदार से लाईन निर्माण एवं ट्रासफार्मर स्थापना का कार्य करा सकता है, जिसमें उपभोक्ता को प्राक्कलन राशि का मात्र 3 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज वितरण कंपनी में जमा कराना होता है अथवा उपभोक्ता ट्रांसफार्मर एवं सर्विस लाईन केबल को छोडकर शेष सम्पूर्ण सामग्री की लागत एवं 3 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज की राशि कंपनी में जमा करा सकता है जिससे कंपनी द्वारा कार्य पूर्ण कराया जाएगा । ट्रांसफार्मर एवं सर्विस लाईन केबल का क्रय उपभोक्ताओं द्वारा ही किया जाएगा ।

अति. मुख्य अभियंता (विधानसभा)

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल